



भारत सरकार/ Government of India
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय/ Ministry of Statistics & P.I.
राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय/ National Statistical Office
(क्षेत्र संकार्य प्रभाग)/(Field Operations Division),
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

हॉल क्र. 201 एवं 205, विजय स्तम्भ,
बी-ब्लॉक, II तल,
एम.पी. नगर, जोन-I, भोपाल-462011

दिनांक/Date: 06/07/2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध हेतु कमेटी ।

मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्र क्र एच-13016/2/2023/ओएंडएम-ई-58473, दिनांक 09-06-2023 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए भारत सरकार के पीओएसएच एक्ट 2013 के अंतर्गत एक आंतरिक कमेटी का निम्न विवरण अनुसार गठन किया जाता है:

1	डॉ मनीषा शर्मा, सहायक प्रोफेसर, सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल	अध्यक्ष
2	श्री के.एम. सोमकुंवर, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, रा.प्र.स.का. (क्षे.सं.प्र.), भोपाल	सदस्य
3	श्री एल.एस. वर्मा, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, रा.प्र.स.का. (क्षे.सं.प्र.), भोपाल	सदस्य सचिव
4	श्रीमती प्रार्थना मिश्रा, निदेशक, महिला कल्याण समिति, भोपाल	सदस्य

2. यह कमेटी यौन उत्पीड़न के संबंध में कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों पर विचार करेगी । यौन उत्पीड़न से तात्पर्य निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक अवांछनीय प्रत्यक्ष या परोक्ष कृत्य शामिल हैं:

- शारीरिक संपर्क या उसकी कोशिश
- यौन संबंधी मांगें या प्रस्ताव


- (c) यौन संबंधी टिप्पणी
- (d) अश्लील चित्र या पोर्नोग्राफी दिखाना
- (e) किसी और प्रकार का अवांछनीय यौन भाव से किया गया शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण

3 समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देश है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त स्टाफ सदस्यों विशेषकर महिला कर्मचारियों के संज्ञान में लायें. उपरोक्त प्रकार की कोई भी शिकायत कमेटी के अध्यक्ष के नाम से इस कार्यालय के संज्ञान में लायी जा सकती हैं ।

उप महानिदेशक के अनुमोदन से जारी ।

प्रति,


समस्त प्रभारी अधिकारी,
भोपाल/इंदौर/खंडवा/छिन्दवाड़ा, प्रभारी (प्रशासन), भोपाल


(डी.के. चन्द्राकर)

वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी एवं
कार्यालय प्रमुख

प्रतिलिपि:

- 1 कमेटी के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण .
- 2 उप महानिदेशक (मध्यां), रा.प्र.स.का. (क्षे.सं.प्र.) , लखनऊ.
- 3 निदेशक (प्रशा/ओएंडएम), रा.प्र.स.का. (क्षे.सं.प्र.) , दिल्ली.


(डी.के. चन्द्राकर)

वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी एवं
कार्यालय प्रमुख